


3, यदि इस कार्यालय में दर्ज ऑकड़ों एवं विभागीय ऑकड़ों में भिन्नता/अन्तर पाया जाता है तो सम्बन्धित धनराशियों का वाउचर वार समायोजन मेमो (जिसमें कोषगार का नाम वाउचर ,सख्या ,दिनांक 15 अंकीय वर्गीकरण एवं धनराशि का उल्लेख हो) तैयार कर आवश्यक समर्थित पत्रजातों के साथ 20.02.2023 तक इस कार्यालय के e-mail address agaeuttarakhand@cag.gov.in पर अवश्य उपलब्ध कराये।

4, ऑकड़ों में अन्तर न होने पर भी महालेखाकार कार्यालय को ऑकड़ों के समान होने की सूचना उक्त तिथि तक इस कार्यालय की e-mail पर या ऑनलाइन प्रक्रिया/फैक्स से अवश्य भेज दें।

5, यदि उक्त दोनो परिस्थितियों में महालेखाकार कार्यालय मे 20.02.2023 तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि विभागीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा महालेखाकार कार्यालय में दर्ज ऑकड़ों से मिलान कर लिया गया है और मिलान में भिन्नता नहीं है तथा ऑकड़ें उन्हे मान्य हैं। महालेखाकार कार्यालय में दर्ज ऑकड़ें अन्तिम माने जायेंगे , अतः भविष्य में ऑकड़ों की भिन्नता के कारण यदि कोई लेखा त्रुटि/अनियमितता पायी जाती है तो उसके लिए विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक उत्तरदायी होंगे।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,


2/2/23
उप महालेखाकार / लेखा एवं निधि